भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3363

जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

टेली-लॉ परामर्श और न्याय बंधु पंजीकरण

3363. श्री बस्तीपति नागराजू :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में टेली-लॉ परामर्श, न्याय बंधु पंजीकरण और विधिक सलाह या निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या का जिला-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में टेली-लॉ और न्याय बंधु अवसंरचना का जिला-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में टेली-लॉ और न्याय बंधु के अंतर्गत चलाए गए कानूनी साक्षरता, जागरूकता और पहुँच कार्यक्रमों और इनमें शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या का जिला-वार ब्यौरा क्या है ;

(घ) आन्ध्र प्रदेश में टेली-लॉ और न्याय बंधु के अंतर्गत निपटान किए गए विधिक मामलों और समाधान किए गए, लंबित और अन्य प्राधिकारियों को भेजे गए मामलों का जिला-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) आन्ध्र प्रदेश में टेली-लॉ और न्याय बंधु सेवाओं की पहुंच और उपयोग को सुदृढ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान डिजाइनिंग (DISHA) स्कीम को 2026 से 2031 तक की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश सहित अखिल भारतीय कार्यान्वयन हेतु केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में DISHA 2.0 के रूप में जारी रखा गया है। टेली-लॉ कार्यक्रम के अधीन, पूर्ववर्ती तीन वर्षों में आंध्र प्रदेश राज्य में 13,361 सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के नेटवर्क के माध्यम से कुल 3,00,096 निःशुल्क पूर्व-मुकदमेबाजी विधिक सलाह प्रदान की

गई है। कार्यक्रम के अधीन निपटान किए गए विधिक मामलों का जिलावार और श्रेणीवार ब्यौरे क्रमशः **उपाबंध-1** और **उपाबंध-2** में दिए गए है। टेली-लॉ कार्यक्रम के अधीन, पूर्ववर्ती तीन वर्षों में आंध्र प्रदेश राज्य में कुल 2,822 जागरूकता शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 72,942 पणधारियों को सम्मिलित किया गया।

न्याय बंधु (निःशुल्क विधिक सेवाएं) कार्यक्रम के अधीन, अधिवक्ता स्वेच्छा से न्याय बंधु एप्लिकेशन (iOS/Android/UMANG प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध) और न्याय बंधु वेब पोर्टल के माध्यम से, विधिक सेवा प्राधिकरण (LSA) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत समाज के उपांतीय और वंचित वर्गों को विधिक सहायता प्रदान करते हैं। पूर्ववर्ती तीन वर्षों में, आंध्र प्रदेश बार काउंसिल के 136 अधिवक्ताओं ने, जिनमें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निःशुल्क विधिक पैनल के 3 अधिवक्ता भी सम्मिलित हैं, न्याय बंधु (निःशुल्क विधिक सेवाएं) कार्यक्रम के अधीन पंजीकरण कराया है। न्याय बंधु कार्यक्रम के अधीन लाभार्थियों द्वारा जिलावार केस पंजीकरण के ब्यौरे **उपाबंध-3** में दिए गए हैं। न्याय बंधु कार्यक्रम के अधीन निःशुल्क विधिक क्लब स्कीम आंध्र प्रदेश के 3 विधि विद्यालयों में कार्यान्वित की गई है, जिनके नाम हैं: दामोदरम संजीवय्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम, विज्ञान विधि संस्थान, गुंटूर और के.एल.ई.एफ. विधि महाविद्यालय, गुंटूर। न्यायालयों में लंबित, निपटान किए गए मामलों और अन्य अधिकारियों को निर्दिष्ट किए गए मामलों से संबंधित जानकारी और प्रो-बोनो(निशुल्क) अधिवक्ताओं की जिलावार जानकारी अनुरक्षित नहीं की जाती है।

टेली लॉ प्रोग्राम और न्याय बंधु प्रोग्राम की पहुंच और देश भर में इसके उपयोग को मजबूत करने के लिए किए गए उपायों में न्याय सेतु एआई चैटबॉट की शुरुआत सम्मिलित है, जो 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, साथ ही निशुल्क क्लबों, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो और राष्ट्रीय विषयगत वेबिनार के माध्यम से विधिक जागरूकता और पहुंच का प्रसार भी सम्मिलित है।

उपाबंध -1

टेली-लॉ परामर्श और न्याय बंधु पंजीकरण से संबंधित लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3363, जिसका उत्तर तारीख 07.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) के उत्तर उपाबंध - । में निर्दिष्ट किया गया है।

पूर्ववर्ती तीन वर्षों में आंध्र प्रदेश में कॉल रजिस्टर्ड (CR) और दी गई सलाह (AG) के ज़िलेवार ब्यौरे।

क्र. सं	जिले	सीएससी की संख्या	2023-24		2024-25		2025-26	
			सी आर	एजी	सी आर	एजी	सी आर	एजी
1	अल्लूरी सीताराम राजू	430	6,989	6,943	9,984	9,882	266	249
2	अनकापल्ली	646	7,052	7,052	5,215	5,209	176	148
3	अनंतपुर	577	13,548	13,599	6,531	6,439	263	244
4	अन्नमय्या	501	2,086	2,057	1,283	1,282	113	109
5	बापतला	461	1,514	1,506	2,323	2,314	115	109
6	चित्तूर	724	22,666	22,505	15,334	15,255	1,000	960
7	पूर्वी गोदावरी	300	7,015	6,995	6,925	6,899	847	829
8	एलुरु	572	219	219	653	653	4	4
9	गुंटूर	258	21,321	21,578	7,197	7,119	368	367
10	काकीनाडा	385	294	294	2,529	2,493	228	206
11	कोनासीमा	385	108	108	1,323	1,312	92	92
12	कृष्ण	491	7,458	7,449	4,742	4,743	374	358
13	कुरनूल	484	26,996	27,037	10,865	10,822	738	691
14	नांदयाल	489	235	236	2,080	2,073	43	42
15	एनटीआर	288	917	912	5,762	5,729	460	436
16	पलनाडु	527	692	694	4,320	4,283	314	313
17	पार्वतीपुरम मान्यम	452	383	382	1,253	1,253	80	77
18	प्रकाशम	730	7,874	7,860	9,742	9,700	238	227
19	एसपीएसआर नेल्लोर	722	3,757	3,724	5,720	5,725	207	183
20	श्री सत्य साईं	467	442	434	2,050	2,046	110	106
21	श्रीकाकुलम	917	6,824	6,848	4,699	4,665	127	124
22	तिरुपति	774	255	256	9,844	9,791	774	671
23	विशाखापत्तनम	79	5,150	5,115	382	461	8	6
24	विजयनगरम	777	10,497	10,491	7,250	7,274	718	653
25	पश्चिम गोदावरी	367	2,698	2,701	3,556	3,532	356	351
26	वाईएसआर	556	3,866	3,902	687	687	3	3
27	मरकापुरम	1	0	0	0	0	0	0
28	पोलावरम	1	0	0	0	0	0	0
कुल		**13,361**	**1,60,856**	**1,60,897**	**1,32,249**	**1,31,641**	**8,022**	**7,558**

उपाबंध -2

टेली-लॉ परामर्श और न्याय बंधु पंजीकरण से संबंधित लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3363, जिसका उत्तर तारीख 07.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) के उत्तर उपाबंध -2 में निर्दिष्ट किया गया है।

पूर्ववर्ती तीन वर्षों में आंध्र प्रदेश में कॉल रजिस्टर्ड (CR) और दी गई सलाह (AG) के वर्गवार ब्यौरे।

क्र. सं	मामले का वर्ग	वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25		वित्त वर्ष 2025-26	
		सी आर	एजी	सी आर	एजी	सी आर	एजी
1	दुर्घटना दावे	4,562	4,525	15,776	15,605	1,108	1,019
2	वैकल्पिक विवाद निवारण	3,557	3,506	8,138	8,119	822	788
3	बैंकिंग मामले	2,664	2,643	7,805	7,722	384	374
4	बच्चों से संबंधित मामले	9,837	9,925	3,670	3,580	145	138
5	संवैधानिक और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले	1,978	1,980	501	506	65	58
6	उपभोक्ता मामले	7,087	7,017	16,826	16,707	1,361	1,271
7	कॉर्पोरेट मामले	200	194	436	436	59	51
8	आपराधिक प्रक्रियाएँ और अपराध	3,182	3,189	1,604	1,599	75	68
9	विलेख और दस्तावेज़ीकरण	192	187	1,118	1,113	202	194
10	पर्यावरण विधि और पशु संरक्षण विधि	389	383	1,134	1,122	61	60
11	पारिवारिक और वैवाहिक विवाद	18,745	18,912	8,783	8,726	524	502
12	सरकारी स्कीम और सेवाएँ और दस्तावेज़ अद्यतन	25,469	25,258	-	-	-	-
13	अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित मामले	145	140	381	376	34	30
14	श्रम विधि और सेवा मामले	5,433	5,498	2,779	2,782	138	127
15	प्रकीर्ण	42,302	42,381	30,411	30,520	266	258
16	संपत्ति विवाद	23,225	23,292	15,381	15,368	1,390	1,289
17	महिला संरक्षण विधि	5,326	5,357	1,407	1,398	242	234
18	राजस्व मामले	5,139	5,097	11,466	11,381	595	558
19	वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मामले	1,187	1,184	3,529	3,484	343	333
20	कराधान विधि	237	229	1,104	1,097	208	206
	कुल	**1,60,856**	**1,60,897**	**1,32,249**	**1,31,641**	**8,022**	**7,558**

<u>उपाबंध -3</u>

<u>टेली-लॉ परामर्श और न्याय बंधु पंजीकरण से संबंधित लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3363, जिसका उत्तर तारीख 07.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) के उत्तर उपाबंध -3 में निर्दिष्ट किया गया है।</u>

पूर्ववर्ती तीन वर्षों में न्याय बंधु प्रोग्राम के अधीन पणधारियों द्वारा मामला पंजीकरण के ज़िलेवार ब्यौरे ।

क्र. सं	**ज़िला**	**न्याय बंधु स्कीम के अधीन पणधारियों द्वारा दर्ज मामलों की संख्या** *(अप्रैल, 2023 से मार्च, 2026 तक)*
1	गुंटूर	33
2	कृष्ण	16
3	पूर्वी गोदावरी	14
4	चित्तूर	14
5	अनंतपुर	10
6	कुरनूल	10
7	श्रीकाकुलम	9
8	विशाखापत्तनम	9
9	प्रकाशम	4
10	नेल्लोर	2
	कुल	**121**

स्रोतः न्याय बंधु डैशबोर्ड (https://probono-doj.in/home/index)
